सचिका स0–7 / विविध–28–24 / 2022– 14 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवामे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–24/04/2025

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी जिला अस्पतालों /अनुमंडलीय अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अन्तःवासी मरीजों (In-door Patients) के वस्त्रों की धुलाई सेवा (Laundry Services) एवं स्वास्थ्य संस्थानों के साफ–सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु क्रमशः रु० 3,00,00,000/– (रुपये तीन करोड़) मात्र तथा रु० 27,00,00,000/– (रुपये सताईस करोड़) मात्र अर्थात कुल 30,00,00,000/–(रुपये तीस करोड़) की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि विभागीय सकल्प संख्या–454(7), दिनाक–13.02.2023 द्वारा राज्य के सभी जिला अस्पतालो (District Hospitals) तथा अनुमडलीय अस्पतालों (Sub Divisional Hospitals) एव चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों मे अन्त.वासी मरीजो (In-door Patients) के वस्त्रो की धुलाई सेवा (Laundry Services) एवं स्वास्थ्य संस्थानो के साफ–सफाइ (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा सपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस के तहत् स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी, जो मॉग एवं आपूर्त्ति किये जाने के आधार पर केन्द्रीकृत भुगतान, निर्धारित दर पर जीविका को करेंगे।

3–राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का पत्राक–6047, दिनांक–02.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों तथा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में अन्तःवासी मरीजो (In-door Patients) के वस्त्रों की धुलाई सेवा (Laundry Services) एव स्वास्थ्य संस्थानों के साफ–सफाई (Cleanliness Services) हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'जीविका' के माध्यम से करने हेतु कुल रू० 39,00,00,000/– (रुपये उनचालीस करोड़) मात्र की मॉग की गयी है। तद्नुसार उक्त कार्य हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को 28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाये मद से Laundry Services हेतु रु० 3.00,00,000/– (रुपये तीन करोड) मात्र तथा Cleanliness Services हेतु रु० 27,00,00,000/– (रुपये सताईस करोड) मात्र अर्थात कुल 30,00,00,000/– (रुपये तीस करोड) मात्र विवरणी के अनुरूप सुसगत विपत्र कोडों के अन्तर्गत व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4–इस राशि की निकासी –(i) मांग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एव अनुमडल अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाये (28–04) मद मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

(ii) माग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष–0002–दरभगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें (28–04) मद में उपबधित राशि से किया जायेगा।

(iii) मांग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0006–मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड–20–2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें (28–04) मद मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

5–इसके निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA011 विपत्र कोड–K8448001200027 मे सुलभ करायेगें।

7–राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की यह जिम्मेवारी होगी कि विभागीय उक्त संकल्प एवं वित विभाग द्वारा निर्गत समय–समय पर तत्सबंद्ध परिपत्रों के वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन करते हुए राशि जीविका को उपलब्ध करायेंगे।

8–राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, वित विभाग के परिपत्र सं0–8599, दिनांक–01 10. 2015 के आलोक मे धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

9–यह व्ययादेश वित विभागीय परिपत्र स0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04 2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11 2007, 96/वि0(2) दिनाक–03.01 2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09 04 2010 एव अद्यतन परिपत्रो के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10–प्रस्ताव एवं प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

11–प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/विविध–28–24/2022 के पृष्ठ–43/टि० पर प्राप्तहै।

12–राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–28–24/2022 – 14 (7) /स्वा0,पटना, दिनाक 24/04/2025

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार /सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचित/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एव कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

24.4.25

सरकार के अपर सचिव

विवरणी

28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद से Laundry Services हेतु आवंटन

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	सदर एवं अनुमंडल अस्पताल 20–2210011100013	**3,00,00,000**

28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद से Cleanliness Services हेतु आवंटन

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	सदर एवं अनुमंडल अस्पताल 20–2210011100013	21,00,00,000
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल 20–2210011100002	3,00,00,000
3	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, 20–2210011100006	3,00,00,000
	कुल	**27,00,00,000**

कुल योग–30,00,00,000/– (रू0 तीस करोड़) मात्र

24.4.25.

सरकार के अपर सचिव